वर्तमान समय में बौध्दिक सम्पदा अधिकार

डॉ. किरण चौहान

अतिथि विद्वान

राजीव गांधी शा.पी.जी.महाविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

सारः

बौध्दिक सम्पदा मनुष्य की मानसिक क्रियाषीलता एवं सृजन शीलता का परिणाम हे जो उसका स्वयं का उत्पादक होता है, और वह कृति उसकी स्वयं की कृति उत्पादित होती है, वह किसी भी क्षेत्र मे हो सकती है वह चाहे दैनिक कार्यो मे उपयोग होने वाली हो, चाहे पुस्तक के रुप मे, कविता हो, कोई संगीत के रुप मे हो, किसी तरह की कला हो, कोई पेंटिंग हो, चाहे कोई मषीन या उकरण हो किसी तरह का कोई वैज्ञानिक उपयोग के लिये हो आदि, मनुष्य जीवन मे आवष्यकताओ का कोई निष्चित मापदण्ड नही है, अनगिनत आवष्यकताये होती है चाहे वह किसी भी रुप मे उपयोग हो उनकी गिनती नही की जा सकती है, इन्ही कृतियो के उत्पादन, निर्माण के चलते अनेक अधिकारो का भी जन्म होता है, जो कानून की परिधि मे आते हे इन अधिकारो की निरन्तता बनी रहना ही आर्थिक जगत की एक विषेषता है, जिसे अविष्कारक या अनुसन्धानकर्ता चाहता है, कि उसके द्वारा प्रतिपादित किये गये नवीन विचारो या अविष्कारो का फायदा स्वयं ही प्राप्त करें, और अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उसके इन अधिकारों पर अनिक्रमण या छीना न जा सके। बैध्दिक सम्पदा कानून उसे उसके अविष्कारो, उत्पादनो या नवीन विचारो को विभिन्न कानूनो के द्वारा सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करते है, जिसको परिणामस्वरुप वह व्यक्ति या संस्था उसी तरह का स्वत्वाधिकार प्राप्त कर लेते है, जैसे कि वह किसी भी भौतिक वस्तु पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकते है।

मुख्य शब्दः बौध्दिक सम्पदा कानून, अधिकार, पेटेन्ट, अधिकार चिन्ह, प्रतिलिपि अधिकार, अनुवंषिक, अविष्कार अधिकार, पी.वी.आर अधिकार, व्यापार रहस्य, बौध्दिक अधिकार अधिनियम, औद्योगिक सम्पदा, सेवा मार्क, कम्प्युटर प्रोग्रम, कृषक अधिकार।

परिचयः

बौध्दिक सम्पदा अधिकार या संरक्षण प्रदान करने वाली विधियॉ जैसे– कॉपीराईट, व्यापार चिन्ह, सर्विस मार्क्स, ट्रेड– सीक्रेटस प्लांट वेराइटीस, मषीन, तकनीकी–डिजाइन्स, कलात्मक वस्तुये, विचार, व्यवसायिक डिजाइन्स उपकरण, कम्प्यूटर प्रोग्राम, दृष्य श्रव्य जैविक समाग्रीयो, रसायन विज्ञान या अन्य क्षेत्रो के शोध रिपोर्टस या रिकार्डस आदि पर स्वत्वाधिकार एवं संरक्षण प्रदान करने वाली विधियॉ शामिल है। अतएव सरकारो द्वारा अन्वेषको को उनकी खोजो से आर्थिक लाभ कमाने का एकाधिकार प्रदान किया जाता

हे जिसे बौध्दिक सम्पदा अधिकार कहते है। यह अधिकार किसी अन्वेषक की बौध्दिक सम्पदा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी रह का लाभ प्राप्त करने से रोकता है।

समय–समय पर अनेक संधीयॉ जैसे–पेरीस 1883, औद्योगिक सम्पदा के संरक्षण के लिये प्रथम अन्तराष्ट्रीय स्तर पर की गई सन्धी, बर्न सम्मेलन 1886, साहित्यीक या कलात्मक रचनाओ के संरक्षण के लिये मैडिंड समसीता 1891 व्यापार के अपने देष मे पंचीकरण कराने के बाद समझौते के अन्य देषो मे भी संरक्षण प्रदान करने के लिये बयी 1893 बर्न सम्मेलन और पैरिस सम्मेलन के कार्यो को रुप प्रदान करने के लिए हेग सम्मेलन 1925, बाइयो 1967, पेटेन्ट ट्रीट्री 1970 इत्यादि।

बौध्दिक सम्पदा अधिकारो का अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विकास प्राचीन समय मे भक्ति को यह ज्ञान नही था कि उसने काई नवीन वस्तु का कविष्कार का श्रेय उसे ही प्राप्त होना चाहिये, धीरे–धीरे कुछ लोगो द्वारा अपनी प्रतिपादित कृति पर अपना कोई चिन्ह निषानी के तौर पर बनाया जाने लगा जैस–रोमन अपनी पोटरी पर एक विषेष तरह का चिन्ह अंकित करने लगे ताकि उसे वे पहचान सके। बैनेषियन कानून 1474 में नई मषीन के निर्माता को 10 साल का एकाधिकार प्रदान किया जाने लगा और धीरे–धीरे एकाधिकार बैध्दिक सम्पदा अधिकार प्रदान किया जाने लगा, सन् 1719 फ्रांस व रुस, 1710 में ब्रिटिष स्अीटयूट ऑफ एनी द्वारा प्रदत्त, 1967 मे वर्ल्ड इंन्टलेक्चुअल प्रापर्टी आर्गेनाईजेषन जिसे 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने विषेष अंग के रुप मे मान्यता प्रदान की, भारत मे बौध्दिक सम्पदा अधिकार के तहत् भारत सरकार ने बौध्दिक सम्पदा विधिको को अधिक प्रभावी एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर की गई सन्धियो के अनुकुल बनाने के लिये 13 मई वर्ष 2016 को एक राष्ट्रीय बौध्दिक सम्पदा अधिकार नीति को मन्जूरी दी गई।

पेटेन्ट एक प्रामण–पत्र के रुप मे होता है, जिसे कोई सरकार किसी अन्वेषक या अविष्कार के रुप लिये प्रदान करता हे, यह पेटेंट उस अविष्कार को यह अधिकार देता है, कि वह अन्य लोगो को अपने अविष्कार की नकल करने, उसका उत्पादन करने, उसका उपयोग या व्यापार करने से रोक दे, और पेटेण्ट केवल उस अविष्कार व्यक्ति के लिये होता है, जिसके लिय वह जारी किया गया है और यह अधिकार जारी किये गये देष मे मान्य किया जाता है। पेटेण्ट एक लिखित अवधि के लिये ही वैध होता है। जिसका समय काल वर्षो का होता है। कई बौध्दिक सम्पदाओ का पेटेण्ट नही हो सकता है, इनमे से कई सम्पदाओ जैसे–पुस्तके, श्रव्य एवं दृष्य कैसेट्स, आदि की सुरक्षा कॉपीराइट के द्वारा की जाती है। पेटेण्ट अधिनियम 1970 भारत में उक्त अधिनियम को पेटेट अधिनियम संषोधन 1999, 2002, 2005 इनके द्वारा ट्रीप और पेटेण्ट सहयोग सान्धि की अपक्षाओ को मूर्तरुप प्रदान किया गया है।

के. मिश्रा. एण्ड कम्पनी प्रा.लि. बनाम एसिस्टेन्ट कन्ट्रोलर ऑफ पेटेन्टस एण्ड डिजाईन एवं अन्य [1] के मामले मे उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि कोई भी अधिनियम या अधिनियम के प्रावधान तब तक कार्यषील नही हो सकते है, जब तक कि विधयिका के द्वारा एक निष्चित तारीख से उसे कार्यषील करने के लिये तय नही कर देती है। अतः वह तब ही लागू समझाा जायेगा जिस तारीख से ऐसा करने के लिये विधायिका द्वारा निष्चित कर दिया हो पादप किस्मों एवं जन्तुओ की नस्लो का विकास कई वर्षो के लगातार कठिन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुनियोजित प्रयासे का परिणाम हे जिसके परिणामस्वरुप इस आधार पर

यह तर्क दिया जाता है कि पादप किस्मो एवं जन्तु नस्लों को भी उन प्रजनको को बौध्दिक सम्पदा माना जाना चाहिये, जिन्होने उनका विकास किया था। अतः कई देषो मे पादप किसमो को बौध्दिक सम्पदा माना जाता है और इन्हे कानून तौर पर पर्याप्त वैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाता है। जेसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका मे पादप किस्मो को या तो पेटेन्ट द्वारा या पादप प्रजनक अधिकार द्वारा संरक्षण प्रदान की जाती है। भारत मे पादप किस्मो की सुरक्षा हेतु पादप किस्म सुरक्षा एवं कृषक अधिकार अधिनियम 200. पारित किया गया है।

जेनेवा मे विष्व बौध्दिक सम्पदा संगठन स्थित है, जिसकी जवाबदारी व जिम्मेदारी पेरिस परिपाट सन्धी तथा उसके पष्चात् की सन्धियो के नियमो को लागू करवाना हे औद्योगिक बौध्दिक सम्पदा की सुरक्षा के लिये है 100 देष इस सन्धी के सदस्य है। धीरे–धीरे भारत मे भी सन्धी का प्रभाव भारत मे देखने मे मिलने लगा और सन् 1998 मे पेरिस सन्धी का सदस्य भारत बना, पी.सी.टी. के अन्तर्गत, इस सन्धी के किसी सदस्य देष मे उस देष के नागरिक तथा अन्य सदस्य देषो के नागरिक दोनो को ही औद्योगिक बौध्दिक सम्पदाओ का एक समान सुरक्षा प्रप्त होती हे इसी तरह अर्थिक तौर पर वाणिज्य सम्बंधी बौध्दिक सम्पदा अधिकार उरुग्वे मे सरफ हुये एक अंग है और इसकी बडी विषेषता यह भी है कि तीसरा सबसे व्यापक बहुपक्षीय संधि हे यह सन्धी। भारत के संबंध में कहा जा सकता है कि चूँकि भारत ने भी गेट पर हस्ताक्षर किये है, इसलिये भारत भी ट्रीप्स के साभी प्रावधाना को लागू करने के लिये बाध्य है।

भारत देष मे ट्रिप्स के प्रावधानो को संतुष्ट करने के लिये या उद्देष्य हेतु भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 मे तीसरा संषोधन 26 दिसम्बर 2004 को एक अध्यादेष के माध्यम से जारी किया गया और वर्तमान में पेटेन्ट व्यवस्था की मुख्यतः बाते निम्नलिखित है।

1. दवा, खद्या एवं रसायन सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रो में पेटेन्ट व्यवसथा को लागू करने का निर्णय लिया गया।

2. ई.एम.आर. की व्यवस्था को समाप्त करके नई व्यवस्था के लागू होने पर कम्पनियो के विपणन का एक मात्र अधिकार दिया जाता है।

3. पेटेन्ट के अनतर्गत किये गये आवेदनो पर निर्णय के पूर्व और निर्णय के पष्चात् प्रतिपाद और अपील दर्ज करने की उद्यार एवं स्पष्ट व्यवस्था।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडे शसक्त मजबूत जुडे प्रावधान, रक्षा और समाजिक दोनो ही प्रकार के इस्तेमाल या प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को विदेष पेटेन्ट कराने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना।

5. पेटेन्ट के आवेदनो की जॉच और इन पर निर्णय के लिये नये संषोधन के अनुसार अब 9 वर्ष की जगह साढे चार वर्ष मे होगा और यह समय सीमा निर्धारित है।

6. जनहित या जन स्वास्थय को ध्यान मे रखते हुये भारत सरकार जन स्वास्थ की आवष्यकता या जरुरतो को देखते हुये किसी कम्पनी के पेटेन्ट का अधिग्रहण कर सकती हे या दवा बाहर से आयात कर सकती है।

इसी तरह बायोटेक्नॉलाजी अविष्कारो के पेटेन्ट का अधिकार व्यवस्थान के संबंध में कुछ उलंघन भी स्थितियॉ है जैसे–

1. अनुवांषकीय रुपानतरण की विधियॉ टेक्नॉलाजी आदि भारत सहित लगभग सभी देषो मे पेटेन्ट हे परन्तु डी.एन.ए. ककी पेटेन्टीयता के संबंध मे अभि भी स्तारो पर विवाद विद्यामान है।

2. जीवो का संष्लेषित जीवो का कृत्रिम रुप का पेटेन्ट लगभग सभी विकसित देष मे यिका जाता है। यहॉ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका देष मे जीवो से विलग किये जीवो का भी पेटेन्ट यिा गया है, वही दूसरी तरफ इसके ठीक विपरीत ब्रिटिष एवं भारत मे विलग किये गये जीवो को पेटेन्ट योग्य नही माना जाता है।

3. वर्तमान समय मे विकासषील देष अनुवांषिक संसाधनो मे तो समृध्द है परन्तु टेक्नोलॉजी मे समृध्द है। लेकिन अनुवांषिक संसाधनो मे कमजार है जैसेः उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका मे अभी तक एक भी महत्वपूर्ण कॉसिल का उद्गम हुआ है, इसलिये विकसित देषो मे मिकासषील देषो से सभी फसले के जनन दृष्यो के विकासति सुधरी किस्मो के बीचो को विकासषील मे बेचकर उचा लाभ या कहा जाये तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर रहे है। यह स्थिति उस आदर्ष के ठीक विपरीत है जिसके अनुसार जननदृष्य मानव मात्र ही सांझा धरोहर हे उक्त समस्या का एक अन्य पहलू भी है, कि विकासषील देषो से इकटठे या संग्रहित जलद्रव्यो से विलगित जीवो का विकसित देषो द्वारा पेटेन्ट करना है।

बैध्दिक सम्पदा अधिकारो मे पादप प्रजनन अविष्कार अधिकार भी शामिल है। इसका सीधा सम्पर्क सरकार से होता है, जिससे किसान या प्रजनक सरकार के साथ अनुबन्ध करता है, और लाभ प्राप्त करता है, क्योकि यह अधिकार किसी फसल की किस्म के प्रजनक की सरकार द्वारा, इस फसल की किस्म के सन्दर्भ में दिये जाते है। और इन अधिकारो के संरक्षण में अधिकारो द्वारा एक प्रजनक द्वारा उससे सम्बधित किस्म का प्रजनक अन्य लोगो को उस किस्म के उत्पादन अथवा उनके वाणिज्यीकरण पर रोक या प्रतिबन्ध लगा सकता है और इसकी एक निष्चित उपाधि होती ळै जो पी.बी.आर से संरक्षित 15–20 वर्ष होती है, और बौध्दिक सम्पदा अधिकार व पी.बी.आर. के अन्तर्गत स्पष्ट है, कि कोई भी प्रजनक अपने इस अधिकार का अपनी मर्जी या वाणिज्यीक लाभ कमाने के उद्देष्य से इसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है, उसका यह अधिकार कोई नही छीन सकता है,

बिलकेयर लि. बनाम अमरातय प्रा.लि.[2] के मामले मे दिल्ली उच्चन्यायालय ने कहा कि पेटेन्ट प्रदान करने का मुख्य उद्देष्य वैज्ञानिक अनुसन्धान, नई तकनीकी एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना है, क्योकि इससे उत्पादक एवं अनुसन्धानकर्ता को अपने उत्पाद पर अनन्य अधिकार मिल जाता है।

उपयुक्त निर्णय से स्पष्ट होता है कि पेटेन्ट का अधिकार प्रजनक को अपने लाभ के लिये अधिकार प्रदान करता है।

मरीअप्पन बनाम ए.आर. सफीउल्लाह[3] एवं अन्य के मामले मे मद्रास उच्च न्यायालय ने वादो के पंजीकृत पेटेन्ट फूड ग्रेड लेमिटेड पेपर, फिस पर कलात्मक केले की पत्तियॉ बनी हुई थी, उसी से मिलता–जुलता चिन्ह से प्रतिवादी द्वारा व्यापार किया जाने को वादी के पेटेन्ट अधिकार का उल्लंघन मानते हुये एकलपीठ द्वारा दिये गये निषेषता के आदेष को सही माना।

इसी प्रकार गरवाले वाल गेटस लि. बनाम मि. अनन्त कनोई एवं अन्य [4] के मामले मे गुजरात उच्च न्यायालय ने वादी के उत्पाद गैबियन को सही स्तर पर एक नया उत्पाद नही माना, क्योकि यह सिन्थौटिक सामग्री से

बनाई गई एक रस्सी है जो पहले से ही जनसमान्य मे जानी–पहचानी जाती है। अतः यह नया अविष्कार नही कहा जा सकता है फिर भी न्याय के हित के मामले मे निस्तारण तक प्रतिवादी को लाभ, लेखे आदि रखने के आदेष दिये गये है।

उपयुक्त वादो के निर्णयो से स्पष्ट होता है कि पेटेन्ट अधिकार अपनी सीमाओ पर खरा उतरने पर ही मान्य किया जाता है और रजिस्र्टड होने के पष्चात अविष्कारक ाके 15–20 वर्ष तक एकाधिकार प्रदान करता है, किसी की कृति को नकल करना या अन्य साधनो से किसी का अधिकार अतिक्रमित नही किया जायेगा, और मूलाअधिकार अतिक्रमित नही किया जायेगा ओ मूल अधिकार का उपयोग करने वाले के विरुध्द न्यायालय द्वारा शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था है। अविष्कारक चाहे के इस अधिकार को अपने हित मे लाभ के आषय से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि यह अधिकार व उत्तरदायित्वो पर आधारित है और इनकी सीमाओ के परे इसकी प्रयाज्यता या उपयोगिता का कोई महत्व नही होगा। परन्तु सरकार चाहे तो लोकहित मे उस किस्म के प्रवध्यो के उत्पादन,विपणन की अनिवार्य लाइसेंस , किसी संस्था को दे सकती है। लेकिन जनहित के हित मे होना स्पष्ट होना चाहिये।

पादप प्रजनक अधिकार के अलावा एक और अधिकार स्पष्ट होता है और अधिकार है कि कृषक अधिकार इस अधिकार की अवधारणा की उल्लेखनीय है जैसा कि हम सभी जानते हे कि आदिकाल से कृषको द्वारा फसलो के अनुवांषीक संसाधनो का धरण एवं अनुरक्षण किया जा रहा है, वर्तमान आधुनिक काल मे भी विकसित देषो को बीज कम्पनीयो द्वारा कृषक अधिकार मे अतिक्रमण की साजिष होती रहती है, लेकिन इस परिवेष मे खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा कृषक अधिकार को स्वीकार किया गया है, यह कृषक अधिकार का मुख्य रुप से उद्गम केन्द्रो मे स्थित किसानो के लिये है

अतः प्रष्न उठता है कि अविष्कार को अपनी बौध्दिक सम्पदा की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु यह निर्णय लेना होता है कि वह किस प्रकार की सुरक्षा चाहता है, क्योकि सुरक्षा की विधि ज्यादातर बौध्दिक सम्पदा की प्रकृति पर निर्भर करता है, उदाहरण के तौर पर– जैसे किसी पुस्तक की सुरक्षा केवल कॉपीराइट्स द्वारा ही की जा सकती है। इसके अलावा यदि टेक्नॉलाजी मे विकास की दर गतिषील हो तो व्यापार रहस्य यदि वह सम्भव हो जैसा कि स्पष्ट है, कि साधारणतः व्यापर रहस्य की रक्षा करना पेटेन्ट प्राप्त करने की अपेक्षा अधिक महंगा होता है। प्रतिलिप्याधिकार– प्राचीन समय से व्यक्ति अपनी बुध्दियो ज्ञान व सुरक्षित करना चाहते है तो वह अपने हाथ से उसे लिख लिया करता था, जो पाण्डूलिपि कहलाती थी और उस पर केवल उसी का अधिकार होता था वह जबतक चाहता थ वह लिपि कोई अन्य व्यक्ति प्राप्त नही कर सकता था लेकिन जैसे–जैसे व्यक्ति ने अपनी लिपि अधिकार लोगो के बीच पहुचाना शुरु यिका उसे मुद्रण लाभ हुआ, और उसकी बात अधिक लोगो के पास पहुची, बाद मे उसे संरक्षण प्रदान करने व उसको अतिक्रमण करने से रोकने की समस्या सामने आने लगी संसार यह सर्वप्रथम 1556 मे इंग्लैण्ड के राजा द्वारा एक मुद्रका लायसेंस बनाना शुरु किया–जिससे चार्टर, स्आर चेम्बर एवं कई राज्यादेषो के द्वारा लेखक को प्रत्येक पुस्तक हेतु लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। धीरे–धीरे अन्य राज्यो की यह मान्यता का प्रचलन होते गया, भारत में 1847 मे ईस्ट इंण्डियॉ कम्पनी द्वारा प्रतिलिप्याधिकार अधिकनयम

पारित किया गया, सन् 1911 मे ब्रिटेन मे प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम पारित हुआ, जो भारत सहित सभी उपनिवेषो मे भी लागू कर दिया गया। समय–समय पर इसमें सुधार भी किये गये और भारत में यह अधिनियम प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 लागु है, जस्टिस बी.आर.कृष्णा अग्यर ने प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के सन्दर्भ मे इण्डिया परफॉरमिग राइट्स सोसायटी लि. बनाम ईस्टर्न इण्डियन मोषन पिकचर्स सोसायटी लि. बनाम ईस्टर्न इण्यिन मोषन पिक्चर्स एसोसियेषन एवं अन्य[5] के मामले मे कहा है, कि एक व्यक्ति अपनी सृजनात्मक निपुणता कई कलात्मक तरीको से दुनिया के समक्ष रखता है, लेकिन चालबाज लोग उसे उसी योग्यता का पूरा फल प्राप्त नही करने देते है, और अनेक तरीको से उत्पादक का पोषण करते है, जिनसे बचने के लिये अनेक प्रयास किये गये है, भारत में भी इसी आवष्यकता की पूर्ति के लिये प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम पारित किया जैसे कि–

गगपारे प्लास्टिक एण्ड पोलिस्टर लि. एवं अन्य बनाम टेलि लिंक एवं अन्य[6] के मामले मे बम्बई उच्चन्यायालय द्वारा निर्धारित किकया है, प्रतिलिप्याधिकार कानून का मुख्य उद्देष्य प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी के अधिकारों की अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत उपयोग किये जाने पर अंकुष लगाना है।

इस अधिनियम की सुरक्षा के संदर्भ मे अतिक्रमण करने वालो को दण्डित करने का भी प्रावधान है। पेटेण्ट का संरक्षण इसी अधिनिम के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान समय मे पादप प्रजनन अधिकार का मुद्दा काफी प्रचलित हो रहा है। साधारणतः व्यापार रहस्य की रक्षा करना पेटेण्ट पाप्त करने की अपेक्षा अधिक मंहगा होता है इसी प्रकार पादप प्रजनक अधिकार द्वारा सुरक्षा पेटेन्ट प्राप्त करने की तुलना में सरल होता है। अतः व्यापारिक रहस्यो को लम्बी अवधि तक गुप्त रखना बहुत कठिन एवं खर्चीला होता है, इस आधार तक गुप्त रखना बहुत कठिन एवं खर्चीला होता है, इस आधार पर पी.बी.आर. एवं पेटेन्ट के द्वारा सुरक्षा अधिक वांछनीय होती है, पेटेन्ट सूरक्षा एक सीमित अवधि तक 17–18 वर्ष तक की होती है, और यदि इससे अधिक समय की अवधि की सुरक्षा चाहिये तो इसके लिये केवल एक मात्र विकल्प व्यापार रहस्य ही है, यदि पी.बी.आर. सुरक्षा उपलब्ध हो तो 20 या 25 वर्ष के लिये यह सुरक्षा होती है और पादप किस्मो के लिये पेटेन्ट सुरक्षा पी.बी.आर सुरक्षा की तुलना में अधिक कठोर होती है।

निष्कर्षः

अंततः कहा जा सकता है, कि वर्तमान में बौध्दिक सम्पदा अधिकारो के संरक्षण के महत्व व उपयागिता एवं उसके संरक्षण हेतु आवष्यकता को प्रत्येक व्यक्ति समझता है, कोई ाी व्यक्ति यह नही चाहता कि उसकी कृति को कोई नकल करे या किसी तरह का अतिक्रमण करें, इस व्यक्ति की बौध्दिक क्षमता का परिचय, उपलब्धि व अविष्कार करता है, अविष्कार करता है जिसे उसने जन्म दिया है, और उसके संरक्षण हेतू यह एक कानून के नियत्रण की आवष्यकता की आकांक्षा करता है अविष्कार के क्षेत्र व प्रकार के आधार पर संरक्षण कानून वर्तमान समय मे प्रचलित नाम बौध्दिक सम्पदा अधिकार के एक अलग ही महत्वता एवं उपयोगिता है, और भविष्य यह तीव्रगति से प्रचलित होगा।

संदर्भ सूचीः

1. के मिश्रा एण्ड कम्पनी प्रा.लि. बनाम ऐसिस्टेंट ऑफ पेटेन्टस एण्ड डिजाइन एवं अन्य ए.आई.आर. 2009. एस.सी. 405, 2008 10 एस.सी.सी. 368: 2008. पी.टी.सी. 6. एस.सी. 2008 2 स्केल 524 एस.आई.पी.आर. 2008 3.31.

2. बिलकेयर लि.बनाम अमरतारा. एस.आई.पी.आर. 2007 2 42 दिल्ली।

3. मरीअप्पन बनाम ए.आर. सफीउल्लाह एवं अन्य 2008,38 पी.टी.सी. 341 मनु, टी.एन 0828, 2008.

4. मनु. जी के 8265, 2006 गुजरात।

5. ए.आई.आर 1977 एस.सी. 1443.

6. ए.आई.आर 1989 बम्बई 331.

7. ज्ञानवती धाकड– बौध्दिक सम्पदा विधियॉ सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेषन 107 दरभंगा कैसल इला. 211002, 2018

8. ज्ञानवती धाकड प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम.सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेषन 107 दरभंगा कैंसल इला. 211002 2018

9. पेटेन्ट अधिनियम 1970 से सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेषन 107 दरभंगा कैंसल इला. 211002 2018

10. डिजाइन अधिनियम 1970 से सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेषन 107 दरभंगा कैंसल इला. 211002 2018

11. ओ.पी. मिश्रा बौध्दिक सम्पदा सेन्ट्र लॉ पब्लिकेषन इलाहाबाद।

12. एक.के. बंडारी परिचय बौध्दिक सम्पदा अधिनियम 2016।